

कार्यालय उपनिदेशक, फायर सर्विस, लखनऊ।

पत्रांक: 359-डीडी-2015 (BBK)

दिनांक: अप्रैल 10, 2015

सेवा में,

प्रबन्धक,  
मेसर्स आदर्श कालेज ऑफ एजुकेशन,  
ग्राम-सलारपुर, तहसील-नवाबगंज,  
जिला-बाराबंकी

**अग्निशमन अनापत्ति  
प्रमाण पत्र**

विषय: खसरा नं०- 894 एवं 895 ग्राम-सलारपुर, तहसील-नवाबगंज जिला-बाराबंकी में मेसर्स आदर्श कालेज ऑफ एजुकेशन के प्रस्तावित शैक्षिक भवन मानचित्र पर प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बाराबंकी के पत्र संख्या: सीएफओ-बीबीके/एनओसी/2015(17) दिनांक: अप्रैल 09, 2015 एवं UID/2015/8367/BBK/Barabanki/63/DD Dated: 30.03.2015 के माध्यम से प्रश्नगत शैक्षिक भवन का प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

प्रस्तावित शैक्षिक भवन के मानचित्र/अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी, बाराबंकी/मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बाराबंकी द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी, बाराबंकी व मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बाराबंकी की आख्या दिनांक: 09.04.2015 के अनुसार:-

भवन की संरचना:-

- 1-कुल भूखण्ड एरिया- 5519.67 वर्ग मी०।
- 2-निर्मित भूतल कवर्ड एरिया- 811.12 वर्ग मी०।
- 3-प्रथम तल से ऊपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया निल वर्ग मी० (प्रत्येक तल वार विवरण)  
प्रथम तल का कवर्ड एरिया 811.12 वर्ग मीटर...
- 4-बेसमेन्ट ~~कवर्ड~~ का कवर्ड एरिया ... X वर्ग मी०
- 5-बेसमेन्ट ~~कवर्ड~~ का कवर्ड एरिया . X .. वर्ग मी०
- 6-भवन की ऊँचाई -7.20 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी०-2005 की शैक्षिक भवन के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाचागत व्यवस्था:-

- 1-पहुच मार्ग:- 15.00 मीटर रोड रोड बाइन्डिंग सहित।
- 2-प्रवेश द्वार की चौड़ाई-4.50 मीटर के दो गेट।

कमश: पेज सं० 2 पर



(2)

3-सेटबैक:- प्रस्तावित भवन का सेटबैक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग - 6.00 मीटर से अधिक।

बी0-पृष्ठ भाग - 6.00 मीटर।

सी-पार्श्व भाग प्रथम - 6.00 मीटर।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय - 6.00 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार हैं सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4- निकास मार्ग:-प्रस्तावित शैक्षिक भवन में 1.50मी0 चौड़ाई के तीन अदद स्टेयरकेस प्रावधानित है।

5- रिफ्यूज एरिया का विवरण..... वॉछित नहीं है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1- भूमिगत टैंक:- वॉछित नहीं है।

2- पम्प- वॉछित नहीं है।

3- होजरील:- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार वॉछित नहीं है।

4- वेटराइजर:- वॉछित नहीं है।

5- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेण्टस होज केबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आईएस0-13039:1991 के अनुसार . वॉछित नहीं है।

6- हस्त चालित इलेट्रिक फायर अलार्म सिस्टम:- वॉछित नहीं है।

7- स्वचालित डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- वॉछित नहीं है।

8- स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- वॉछित नहीं है।

9-टेरिस टैंक- वॉछित नहीं है।

10-टेरिस पम्प- वॉछित नहीं है।

11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आईएस -2190 के अनुसार प्रत्येक तल पर 06-06 अदद ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 06 के0जी0 प्रावधानित है।

12- स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम:- वॉछित नहीं है।

ए0- फायर चैकडोर, स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग:- वॉछित नहीं है।

बी0-सिस्टम की मैक अप एयर हेतु व्यवस्था:- वॉछित नहीं है।

सी0-स्मोक रिजरवायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए एक्सट्रेक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण:- वॉछित नहीं है।

कमश: पेज सं0 3 पर

- 21




(3)

- 13- प्रेशराईजेशन प्रणाली:- वॉछित नहीं है।
- 14- एग्जिट साईनेज- सम्पूर्ण भवन में प्रावधानित है।
- 15- पी0ए0सिस्टम:- प्रावधानित है।
- 16- फायर मैन स्विच युक्त फायरलिफ्ट... वॉछित नहीं है।
- 17- विद्युत आपूर्ति के स्रोत:- जनसेट प्रावधानित है।
- 18- अनुरक्षण का विवरण:- निर्माणोपरान्त प्रावधानित है।
- 19- निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल का विवरण:- निर्माणोपरान्त प्रावधानित है।

उपरोक्तानुसार मेसर्स आदर्श कालेज ऑफ एजुकेशन, खसरा संख्या- 894 एवं 895, ग्राम-सलारपुर, तहसील-नवाबगंज, जिला-बाराबंकी का प्रस्तावित शैक्षिक भवन के निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि प्रबन्धक द्वारा शैक्षिक भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया - 2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा शैक्षिक भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले शैक्षिक भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

संलग्नक-अनुमोदित मानचित्र।

  
(एस0के0सिंह) 14/11/15  
उपनिदेशक, फायर सर्विस,  
लखनऊ।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बाराबंकी।
- 2-अग्निशमन अधिकारी, बाराबंकी।